रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2013/फाल्गुन 22, 1934
No. 587] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2013/PHALGUNA 22, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2013

का.आ. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ (5) के मद 1(क) में 'परियोजना और क्रियाकलाप' शीर्षक के अधीन टिप्पण (i) के नीचे निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् "परन्तु यह कि ऐसे कोई खनन पट्टे के नवीकरण के समय खनन परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नई पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित नहीं होगी जिसने इस अधिसूचना के अधीन पहले से ही पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त कर ली है।"

[सं. एल-11011/15/2012-आईए-2 (एम)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किए गए :—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011; और
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2013

S.O. 674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section 2 of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely :–

In the said notification, in the Schedule, under the heading 'Project or Activity' in item 1(a) in column (5), under note (i) the follwoing proviso shall be inserted, namely :—"provided that no fresh environment clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained environment clearance, under this notification".

[No. L-11011/15/2012-IA-II(M)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows :

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009:
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011; and
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.